Annexure -VII

NABARD

Ref. No. NB. DFIBT / 3569-3597 / FI - 23 /2016-17

06 June 2016

The Convenor
SLBC
All States

Dear Sir,

Financial Literacy and Credit counselling Centres – Coverage of all districts

As you are aware the Financial Inclusion Fund (FIF) managed by NABARD is being used to provide support to banks / SLBC and various other stakeholders for a wide range of Financial Inclusion initiatives. The Advisory Board of the FIF which oversees functioning of the Fund in it's 17th Meeting has observed that many FLCs set up earlier are not functional and, even today, there are districts / blocks which are not covered by FLCs. There is a need to ensure that each district in the country has at least one FLC.

2. In this background we draw your attention to RBI Circulars Ref. No. RBI/ 2008-09/ 371 dated 04 February 2009 and Ref.No. RBI/2011-12/590 dated 06 June 2012 wherein it was envisaged that FLCCs should be set up at all levels i.e. block, district, town and city levels. Further, Lead banks were also advised to set up Financial Literacy Centres in each of the LDM offices in a time bound manner.

3. In order to fast track the Financial Inclusion initiatives of the Government of India, RBI and the banking sector, it is imperative that the desired number of FLCs are set up immediately and their functioning is monitored vigorously. We therefore request you to kindly expedite the setting up of FLCs through respective banks as per plans drawn by you. You may also review the same in SLBC meetings regularly.

We look forward to your co-operation in the matter.

Yours faithfully

(Subrata Gupta)
Chief General Manager

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0024 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0150 • ई मेल: dfibt@nabard.org
Department of Financial Inclusion and Banking Technology
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax: +91 22 2653 0150 • E-mail: dfibt@nabard.org

Endt. No. NB.DFIBT/ 3598-3626/FI-23/2016-17 of date

Copy forwarded to the Chief General Manager / Officer-in-Charge, National Bank for Agriculture and Rural Development, All Regional Offices for information with a request to hand over the same to SLBC Convener.

(Rashmi Darad)
Asst. General Manager

NABARD

संदर्भ सं एनबी. डीएफआईबीटी/ 3569-3597 /एफआई - 23/2016-17 06 जून 2016

संयोजक
एसएलबीसी
सभी राज्य

महोदय,

<u>वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र - सभी जिलों की कवरेज</u>

जैसाकि आप जानते हैं कि नाबार्ड द्वारा प्रबंधित वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का उपयोग वित्तीय समावेशन पहल की एक विस्तृत श्रृंखला हेतु बैंकों / एसएलबीसी तथा बहुत से अन्य हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। एफआईएफ के सलाहकार बोर्ड जो उक्त फंड के संचालन की देखरेख करता है; अपनी 17 वीं बैठक में यह पाया है कि पूर्व में स्थापित कई FLCs कार्यात्मक नहीं हैं और आज भी कई जिले / ब्लॉक हैं जिनमें FLCs स्थापित नहीं किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक एफएलसी हो।

2. इस पृष्ठभूमि में हम भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं आरबीआई / 2008-09 / 371 दिनांक 04 फरवरी 2009 तथा Ref.No. आरबीआई / 2011-12 / 590 दिनांक 06 जून 2012 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिसमें यह परिकल्पना की गई थी कि सभी स्तरों अर्थात ब्लॉक, जिला, नगर और शहर स्तर पर FLCCs स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लीड बैंक को भी एक समयबद्ध तरीके से प्रत्येक LDM कार्यालयों में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सूचित किया गया था।

3. भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय समावेशन पहल में गति लाने के लिए, यह जरूरी है कि FLCs की वांछित संख्या तुरंत स्थापित की जाये और इनके कामकाज पर पैनी नजर रखी जाये। अतः आपसे अनुरोध है कि अपनी तैयार की गई योजनाओं के अनुसार संबंधित बैंकों के माध्यम से FLCs की स्थापना में तेजी लाएँ। आप नियमित रूप से एसएलबीसी बैठकों में इसकी समीक्षा भी कर सकते हैं।

इस मामले में हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

भवदीय

सुब्रत गुप्ता

(सुब्रत गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0024 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0150 • ई मेल: dfibt@nabard.org
Department of Financial Inclusion and Banking Technology
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax: +91 22 2653 0150 • E-mail: dfibt@nabard.org

परांकन सं एनबी. डीएफआईबीटी/ 3598-3626/ एफआई -23/2016-17 तद दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य महाप्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक सूचनार्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेषित इस अनुरोध के साथ की वे इसे एसएलबीसी संयोजक को सौंप दें.

रश्मी दराद

(रश्मि दराद)
सहायक महाप्रबंधक